# एडिप योजना के अन्तर्गत मोटराइज्ड ट्राइसाईकिल पाने की प्रक्रिया

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की एडिप योजना के अंर्तगत गम्भीर रूप से दिव्यांगों के लिए और क्वाड्रिप्लेजिक (एससीआई), मस्कुलर डिस्ट्रोफी, स्ट्रोक, प्रमस्तिष्क घात, पक्षाघात और ऐसी ही स्थिति वाले दिव्यांगजन, जिनके तीन/चार अंग अथवा शरीर का आधा हिस्सा गम्भीर रूप से दिव्यांग हो, के लिए मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल देने का प्रावधान है। जिन दिव्यांगजन/अभिभावकों की मासिक आय सभी साधनों से 20,000/– रू. से अधिक है, ऐसे व्यक्ति योजना के तहत अनुदान/सहायता के पात्र नहीं हैं। जिन दिव्यांगजन/ अभिभावकों की आय 15,000/– से 20,000/– रू. के बीच में है वे योजना के तहत 50 प्रतिशत सहायता के पात्र हैं। जिन दिव्यांगजन/अभिभावकों की मासिक आय रू. 15,000/– तक है, उन दिव्यांगजन को योजना के तहत 25,000/– रूपये अनुदान सहायता से मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। योजना के अंतर्गत मोटराइज्ड ट्राईसाईकिल हेतु वे दिव्यांगजन पात्र हैं जिनकी दिव्यांगता 80 % या अधिक है तथा जिनकी आय उपरोक्त सीमा के अंतर्गत आती है। मानसिक विकृतिग्रस्त गंभीर दिव्यांगजन मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल के लिए पात्र नहीं होंगें चूंकि इससे उन्हें गंभीर दुर्घटना/शारीरिक चोट का जोखिम उठाना पड़ता है।

2. भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को) द्वारा निर्मित मोटराइज्ड ट्राइसाईकिल_का लागत मूल्य 37,000/– रू. है। इसे घर पहुचाने के 5000/– के खर्च सहित इसकी लागत 42,000/–रू. है। अनुदान/छूट से अधिक की अतिरिक्त लागत राशि रू. 17,000/– प्रार्थी स्वयं वहन कर सकता है या प्रार्थी अपने क्षेत्र के माननीय विधायक/सांसद से, छूट से अधिक की अतिरिक्त लागत राशि 17,000/– रू. का भुगतान विधायक निधि/सांसद निधि से स्वीकृत किये जाने हेतु अनुरोध कर सकते हैं।

3. मोटराइज्ड ट्राइसाईकिल के आवेदन हेतु निम्नलिखित दस्तावेजों को भेजना आवश्यक है:

(i) सहायता पाने हेतु आवेदन/प्रार्थना पत्र
(ii) दिव्यांगता प्रमाण–पत्र की प्रतिलिपि
(iii) निवास प्रमाण–पत्र (वोटर आई.डी. या राशन कार्ड की प्रति/इत्यादि) की प्रति
(iv) आधार कार्ड की प्रतिलिपि
(v) आय प्रमाण पत्र की प्रति
(vi) दिव्यांगता दर्शाती हुई दो फोटोग्राफ
(vii) अनुदान/छूट से अधिक की अतिरिक्त लागत राशि के भुगतान का विवरण

इस योजना के अंर्तगत केवल सहायक उपकरण प्रदान किये जाते हैं। आर्थिक सहायता देने का प्रावधान नहीं है।

आवेदन इस पते पर भेजा जा सकता है :–

अवर सचिव, (डी.डी.–I अनुभाग), दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, 5वां तल, प. दीनदयाल अन्त्योदय भवन, सी.जी.ओ कम्पलैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–3